बिजली के निजीकरण के खिलाफ अभियान में शामिल हों!

महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लोयीज फेडरेशन, भारतीय महिला फेडरेशन (ठाणे समिती) तथा कामगार एकता कमिटी द्वारा जरी अपील, ९ डिसेंबर २०२२

महाराष्ट्र में यदि समानांतर बिजली वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, साथ ही यदि प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 (EAB) पारित हो जाता है, तो दोनों ही बिजली क्षेत्र के और निजीकरण की ओर ले जाएंगे और आप पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, क्योंकि:

• बिजली महंगी हो जाएगी। करोड़ों उपभोक्ता और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उपेक्षित हो जाएंगे।

• खाद्य कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि करोड़ों किसानों को सब्सिडी वाली बिजली मिलनी बंद हो जाएगी।

• कई लोगों को बिजली के बढ़े हुए बिल आएंगे, जिनका हमें पहले भुगतान करना होगा, नहीं तो वे बिजली काट देंगे।

• किसानों, छोटे और दूरदराज के उपभोक्ताओं, गरीब कामकाजी लोगों, सार्वजनिक पानी आपूर्ति तथा लाइटिंग को बिजली प्रदान करने का बोझ केवल डिस्कॉम (सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों) द्वारा वहन किया जाएगा, जिन्हें करों के माध्यम से वित्त पोषित करने की आवश्यकता होगी।

• लोगों के पैसे से बिजली के लिए एक विशाल वितरण नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसका उपयोग अब बड़े कॉर्पोरेटों को समृद्ध करने के लिए किया जाएगा। वे बिना कोई निवेश किए लाभ कमाएंगे तथा निजी इज़रेदारियां बन जाएंगी।

• नए कानून में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने का कोई यंत्र नहीं रहेगा; ग्राहकों के लिए कोर्ट का कोई विकल्प नहीं होगा।

प्रिय विद्युत उपभोक्ताओं,

निजी कंपनी टॉरेंट को फ्रेंचाइजी के तौर पर बिजली वितरण का जिम्मा सौंपे जाने की वजह से भिवंडी के उपभोक्ता पहले से ही परेशान हैं। मालेगांव तथा मुम्ब्रा में बिजली की आपूर्ति करनेवाली कलकत्ता इलेक्ट्रिकल तथा टोरेंट के विरोध में वहां के ग्राहकों में बड़ा असंतोष है।

हाल ही में अडानी पावर ने मुलुंड, भांडुप, ठाणे शहर, नवी मुंबई, खारघर, तलोजा और उरण में बिजली वितरण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। टोरेंट ने इसी तरह के लाइसेंस के लिए पुणे और नागपुर के लिए आवेदन किया है तथा टाटा ने वसई विरार के लिए। इन सभी क्षेत्रों में वर्तमान में केवल सरकारी स्वामित्व वाले महावितरण द्वारा ही बिजली का वितरण किया जाता है।

सरकार का दावा है कि महावितरण के साथ प्रतिस्पर्धा में एक निजी वितरक के प्रवेश से उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का वितरक चुनने का विकल्प मिलेगा और यह प्रतियोगिता बिजली सस्ती कर देगी। परन्तु, मुंबई में, जहाँ दोनों टाटा और अडानी बिजली वितरित करते हैं, ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है और दरें देश में सबसे अधिक हैं! झूठा दावा केवल निजी कंपनियों को वितरण लाइसेंस देने के लिए लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए किया गया है।

निजी कंपनियां पूरी तरह से लाभ से संचालित होती हैं और केवल बड़े मुनाफे वाले उपभोक्ताओं तक ही बिजली पहुंचाएंगी; करोड़ों छोटे उपभोक्ताओं और सेवा देना जहाँ मुश्किल है ऐसे दूर-दराज के इलाकों के उपभोक्ताओं को महावितरण पर छोड़ा जाएगा। यही कारण है कि निजी कंपनियों द्वारा चुने गए क्षेत्र अत्यधिक शहरी, वाणिज्यिक, औद्योगिक और लाभदायक हैं।

नागपुर, औरंगाबाद, जलगाँव सहित देश भर में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां निजी वितरण कंपनियां अपेक्षित मुनाफा न कमा पाने के कारण भाग गईं और सैकड़ों करोड़ की लागत से वितरण को सरकारी डिस्कॉम को वापस लेना पड़ा।

पूरे देश में हमने अनुभव किया है कि डिस्कॉम बाढ़, चक्रवात, बड़ी दुर्घटना, कोविड आदि जैसी आपदाओं के दौरान बिजली की त्वरित बहाली सुनिश्चित करते हैं जबकि निजी बिजली कंपनियां भाग जाती हैं।

अधिक वितरकों को अनुमति देना, यह वर्षों से निर्मित महावितरण के हजारों करोड़ रुपये के वितरण नेटवर्क को निजी पूंजीपतियों को सौंपने की योजना का एक हिस्सा है। एक बार जब सभी बड़े और लाभदायक उपभोक्ताओं को निजी वितरकों द्वारा ले लिया जायेगा, तो महावितरण के पास केवल सब्सिडी वाली बिजली के पात्र उपभोक्ता रह जाएंगे। शीघ्र ही महावितरण का घाटा बढ़ जाएगा और हम सब पर अधिक कर लगाकर इसकी भरपाई करनी होगी। कुछ समय बाद, हमें बताया जाएगा कि सरकार महावितरण के नुकसान को नहीं सह सकती है, इसलिए इसका निजीकरण किया जाना ज़रूरी है। जनता के पैसे से बनी हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति फिर औने-पौने दामों पर अडानी, टाटा, टोरेंट, जिंदल आदि जैसे बड़े कॉरपोरेटों को बेची जाएगी।

आज की स्थिति में निजी कंपनियों को बिजली वितरण के लिए अपना बुनियादी ढांचा स्थापित करना होगा। परन्तु, केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक, बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (EAB) प्रस्तावित किया है। यह दावा किया जाता है कि बिल उपभोक्ताओं को सस्ती और अधिक विश्वसनीय बिजली प्रदान करने में सक्षम बिजली वितरक का चयन करने का विकल्प देने के लिए है, हालाँकि, विधेयक का वास्तविक उद्देश्य बिजली वितरण का निजीकरण करना है।

यदि EAB पारित हो जाता है, तो महावितरण को अनिवार्य रूप से महाराष्ट्र में कहीं भी बिजली वितरित करने के लिए सभी निजी लाइसेंसधारियों को अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे की पेशकश करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए निजी कंपनियों को कोई निवेश नहीं करना होगा। वे महावितरण के बुनियादी ढांचे का उपयोग उसके सभी मौजूदा बड़े, लाभदायक उपभोक्ताओं को हड़पने के लिए करेंगे। इसे प्रतियोगिता कैसे कहा जा सकता है?

EAB धीरे धीरे सभी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों को बीमार कर देगा। बिजली वितरण पर कुछ निजी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा, तब बिजली दरों में वृद्धि कर उपभोक्ताओं का अनिर्बंधित शोषण किया जाएगा। यही वजह है कि देशभर के बिजली कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 आपके हितों के खिलाफ है। यह समाज के हितों के खिलाफ है। बिजली आज मूलभूत आवश्यकता है। इसे हर किसी को सस्ती दरों पर उसी तरह उपलब्ध कराया जाना चाहिए जैसे पानी और अन्य जरूरतें होनी चाहिए।

इन जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी प्रस्तावों को रोकने के लिए समानांतर लाइसेंसिंग प्रस्तावों और बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के खिलाफ अभियान में शामिल हों!

अधिक जानकारी के लिए देखें: aifap.org.in (सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम)